कार्यालय जिला पंचायत, गरियाबंद (छ.ग.)

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान"

दूरभाष क्र.–07706-241376ई–मेल–dmmunrlmgariyaband@gmail.com

बिहान

क्र./ 1077 /DAY-NRLM/HR-04/ 2026 गरियाबंद, दिनांक 30/03/2026

//विज्ञापन//

मिशन संचालक, SRLM, विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ, विकास भवन सेक्टर 19, द्वितीय तल, नार्थ ब्लाक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ का आदेश क्रमांक 3357/1107/वि–06/NRLM/HR&A/2025-26 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17.01.2025, 23.02.2026 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से विकासखण्ड स्तर के रिक्त पद यथा :– लेखा सह एम.आई.एस. सहायक (संविदा) पदो पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 01-04-2026 से 20-04-2026 तक कार्यालयीन समय 5:30 बजें तक ऑनलाईन गुगल फार्म के माध्यम से आमन्त्रित किया जाता है। विज्ञापन का विस्तृत विवरण एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु लिंक जिला गरियाबंद की वेबसाईट www.gariaband.gov.in में दिनांक 20.04.2026 तक उपलब्ध रहेगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विधि :– ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु जिला–गरियाबंद के वेबसाईट www.gariaband.gov.in में लिंक दिनांक 01.04.2026 से उपलब्ध रहेगा।

अ/पदो विवरण :–

क्र.	रिक्त पद का नाम	कुल पद	रिक्त पद का विवरण
1	लेखा सह एम.आई.एस. सहायक	01	अनारक्षित–01 (मुक्त)

ब/पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण :–

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	2	3	4	5	
1	लेखा सह एम.आई. एस सहायक	23,350	**शिक्षा :–** 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। **वांछनीय योग्यता** – टेली सर्टीफिकेट वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। **अनुभव :–** स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट मे सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए	20
				दसवी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	5
				कौशल परीक्षा	10

Scanned with OKEN Scanner

नियम एवं शर्ते :–

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन केवल ऑनलाईन गुगल फार्म के माध्यम से आमत्रित किया जाता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु जिला–गरियाबंद के वेबसाईट www.gariaband.gov.in में लिंक दिनांक 01.04.2026 से 20.04.2026 तक उपलब्ध रहेगा। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. चयन प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन जानकारी हेतु सतत् रूप से कार्यालयीन पते के साथ–साथ एनआईसी जिला गरियाबंद की वेबसाईट www.gariaband.gov.in का सतत् अवलोकन करते रहे।
3. आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2026 के आधार पर की जायेगी।
4. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उक्त संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न किया किया जाना होगा।
5. आरक्षित पदो में आवेदन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापति प्रति संलग्न किया जावें।
6. आवेदन में आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो एवं समस्त प्रमाण–पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त माना जावेगा।
7. संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि बढायी जा सकती है।
8. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ, 9–/1–3 दिनाक– 31 दिसंबर, 2012 के संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होगी।
9. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
11. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन जमा/देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यू–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
13. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा। तद्उपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
14. संबंधित पदों पर अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्न्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत क्षेत्र का कार्यानुभव ही मान्य होंगे।
15. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्त्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा। जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार हागा। साथ ही गैर–शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण–पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 03 माह प्रमाणित पे–स्लीप/बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य/अमान्य किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
16. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का पद से संबंधित समकक्ष कार्यानुभव रखने वाले अमले को अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक प्रदाय किया जावेगा।
17. लेखा सह एम.आई.एस. सहायक पद हेतु कौशल परीक्षा का आयोजन किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

18. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। अतः अंकसूची का पृष्ठ भाग भी सावधानी से फोटोकापी करते हुए स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।

19. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या रिक्तियों के विरूद्ध 10 गुणा से अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर चयन प्रक्रिया के अग्रिम चरण हेतु 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जावेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दी जा सकेगी एवं इस सूची की वैद्यता 01 वर्ष होगी जिसे प्रतीक्षा सूची में रखी जावेगी। भविष्य में पद रिक्त होन पर उसे वरीयता कम प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।

20. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी।

21. शासकीय/गैर–शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

22. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनयिमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन/नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

23. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।

24. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

25. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

26. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है। यह नियुक्ति जिला के लिए निर्धारित रोस्टर अनुसार की जावेगी।

27. आवेदन फार्म का विवरण गुगल फार्म लिंक के माध्यम से ऑनलाईन जिला गरियाबंद की वेबसाईट www.gariaband.gov.in में अवलोकन किया जा सकता है।

28. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

29. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार कलेक्टर, जिला गरियाबंद के पास सुरक्षित रहेगा।

30. मिशन संचालक SRLM, विकास आयुक्त कार्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन किया जा सकेगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

30/03/2026

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–गरियाबंद(छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner